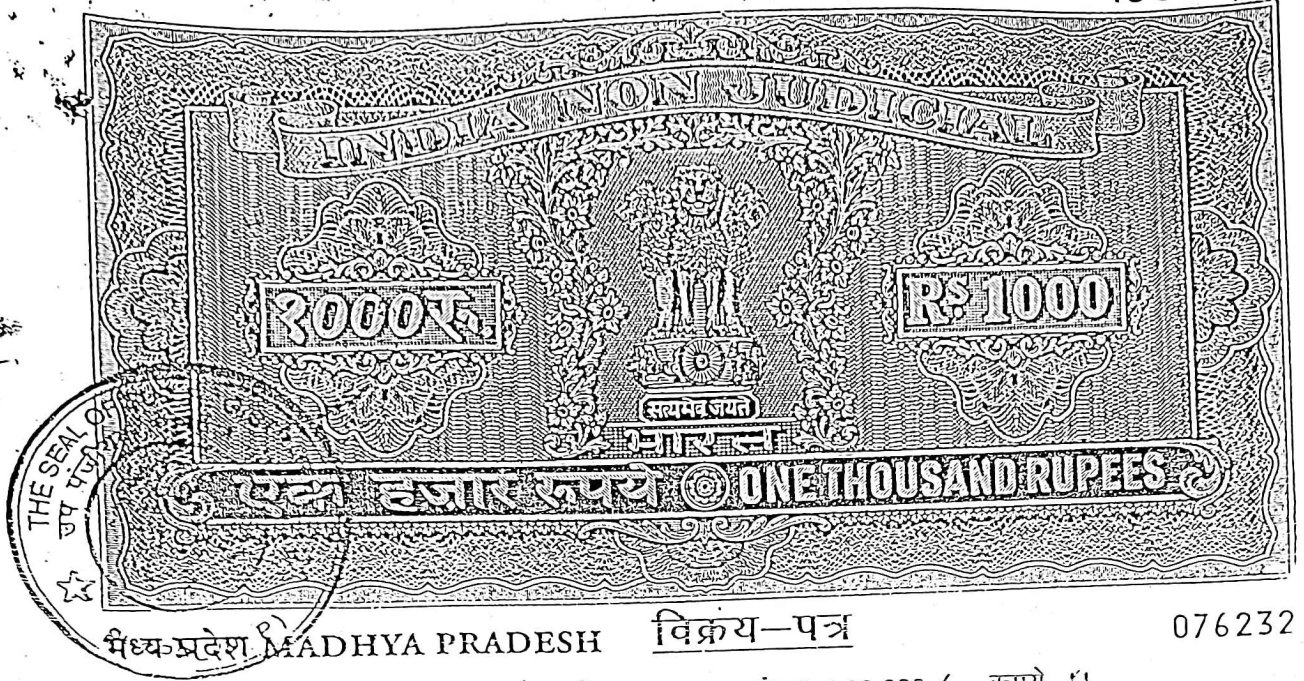


1000Rs.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH विक्रय-पत्र

076232

॥ दस्तावेज विक्रय-पत्र मूल्यांकन 4,00,000 /- रुपये ॥

॥ बाजार मूल्य 14,16,000 /- रुपये ॥

अदायगी कीमत :: विक्रय प्रतिफल रु. 4,00,000 /- क्रेता द्वारा विक्रेता को आई.सी.आई.सी.आई. बैंक एम.पी.नगर,भोपाल के पोस्ट डेटेड चेक क्रं.988977 दिनांक 25/8/2005 द्वारा अदा किये गये हैं। अब विक्रेता को क्रेता से कोई राशि लेना बकाया नहीं रहा है।

स्टाम्प डियूटी ::

सार्वजनिक मुद्रांक शुल्क	::	84,960 /-	रुपये
जनपद पंचायत मुद्रांक शुल्क	::	14,160 /-	रुपये
उपकर मुद्रांक शुल्क	::	5,664 /-	रुपये
अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क	::	16 /-	रुपये
कुल मुद्रांक शुल्क	::	1,04,800 /-	रुपये

नाम विक्रेता :: मुकेश परिहार "वयस्क" आत्मज श्री रमेश चन्द्र परिहार निवासी-म. नं. 47, रावसेना भवन, ओम नगर, लालघाटी, शहर भोपाल (म.प्र.) राष्ट्रीयता- भारतीय.

नाम क्रेता :: कात्यायन शिक्षण समिति, तृप्ति हारस्पिटल, लालघाटी, भोपाल द्वारा अध्यक्ष प्रभु सिंह ठाकुर आत्मज श्री भैयालाल ठाकुर, "वयस्क" निवासी-वीर सावरकर वार्ड, बीना (म.प्र.) राष्ट्रीयता-

Definieren Sie Ergebnis!

6/17/2017

4. 

୧୫.୧.୧୯୫୫
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ



Bi

मुकुन्द सिंह बख्तर कुं गैसाजग बख्तर

पश्चात् मिश्रण के समय धीरे-धीरे

26 APR 2005

५६ प्रत्युता विद्या मन्त्रः ।

1000

1417000

11335020

~~133 200-4-953~~



1000 Rs.

मध्य प्रदेश (क)

15

1	2	3	4
क्रमांक	विशेष विवरण	वादाद	रजिस्ट्री
26	विशेष विवरण	प्रति	के
APR 2005	विशेष विवरण	(मगर हो)	प्रतिवेदार
	विशेष विवरण	को) दाखल	के छोटे
	विशेष विवरण	शुदा	दस्तावेज

26 APR 2005

11/11/05

मध्य प्रदेश

1000 RUPEES

मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

07623:

विवरण सम्पत्ति (भूमि) का पूर्ण विवरण :-

जो कि एक किताने भूमि, जिसका खसरा क्रमांक 38-48/2/2 कुल रकबा 2.834 हेक्टेयर कुल भूमि विक्रय की जा रही है। उपरोक्त विक्रय भूमि ग्राम भौरी, प.ह.नं. 34 (पुराना प.ह.नं. 25) राजस्व निरीक्षक मंडल-4 (पुराना 3), विकास खण्ड फंदा, तह. हुजूर जिला भोपाल, जो भोपाल नगर निगम की सीमाओं के बाहर तथा अर्बन एंग्लोमोरेशन ऐरिया के अन्दर स्थित है। जिसकी भू-अधिकार एवं ऋण पुरितका भाग-1 क्रमांक-M-239615 है। उपरोक्त विक्रय भूमि भोपाल शहर से लगभग 18 कि.मी. दूर तथा मेन रोड से लगभग 4 किलोमीटर अन्दर है। उक्त विक्रय भूमि की चतुर्थ सीमाएं निम्नानुसार हैं :-

दिशा पूरव में	:	खसरा नं.38-48/2/1 की भूमि
दिशा पश्चिम में	:	खसरा नं. 36 की भूमि
दिशा उत्तर में	:	खसरा नं. 36 की भूमि
दिशा दक्षिण में	:	खसरा नं. 48/1 की भूमि

यह कि उपरोक्त विक्रय भूमि रकबा 2.834 हेक्टेयर को संलग्न मानचित्र में लाल रंग की लकीरों से घेरकर दर्शाया गया है, जो इस विक्रय-पत्र का एक महत्वपूर्ण अंश होगा।

यह कि उक्त भूमि पर अर्बन सीलिंग एक्ट 1976 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं जो सीलिंग एक्ट से मुक्त है।

Signature

क्रमशः.....

Satyendra Tiwari (S.V.)
 65, Shahjahanabad Chopal
 S. No. 3981-397
 Date 1001/1002
 25/4/05



कुछेच परिलार उम वगेश चम परिलार
 40 सम्मो गवग मीमगग

महोदय श्री जयप्रकाश शर्मा से सम्बन्धित
 मीमगग गवग मीमगग
 मीमगग मीमगग
 मीमगग मीमगग
 मीमगग मीमगग
 मीमगग मीमगग
 मीमगग मीमगग

Prakash

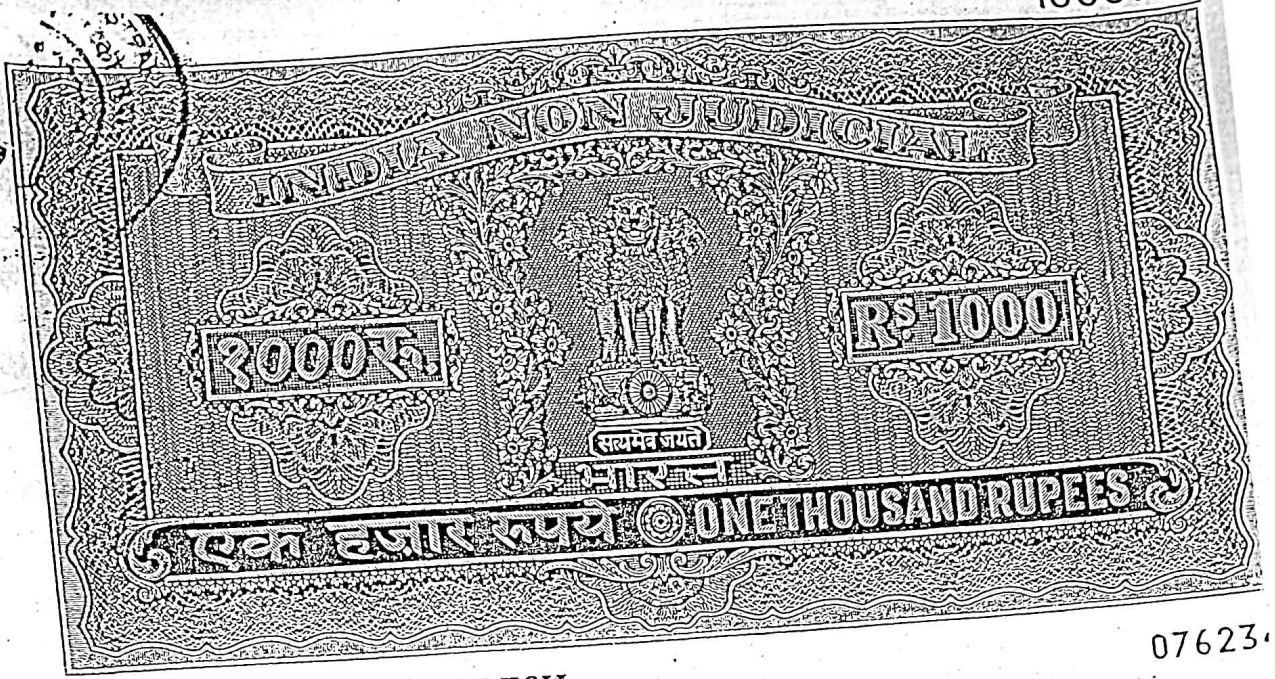
गोगेश उम गवग मीमगग / 2005 गगग ललधारी मीमगग
 ललधारी उम गवग मीमगग / गोगेश मीमगग

मि गवग मीमगग मीमगग/मि गवग मीमगग
 मीमगग मीमगग मीमगग मीमगग

26 APR 2005

Prakash

1000 Rs.



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

3.

यह कि उक्त भूमि के विक्रय से भू-राजस्व संहिता अर्बन सीलिंग एक्ट, पंजीयन एक्ट, भू-दान यज्ञ बोर्ड कृषि जोत सीमा अधिनियम की किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं होता है और न ही उक्त भूमि किसी जगह अधिग्रहित है और न ही अतिशेष घोषित है और न ही कोई प्रतिबंध है ।

अन्य विवरण :-

1. यह कि उपरोक्त विक्रय भूमि रकबा 2.834 हेक्टेयर का मैं विक्रेता स्वतंत्र रूप से मालिक, काबिज व स्वामी हूँ, उपरोक्त भूमि वर्तमान में तहसील व सरकारी रिकार्ड में मुझ विक्रेता के नाम पर अंकित है, जिस पर मुझ विक्रेता का ही कब्जा व दखल मालिकाना है, उपरोक्त विक्रय भूमि सभी प्रकार के हस्तांतरण, दान, वैया, वसीयत, बंधक आदि में हस्तांतरित न होकर सभी प्रकार के कर एवं भार से मुक्त है तथा उक्त भूमि पर किसी भी न्यायालय, पंचायत, सोसायटी, बैंक, तहसील आदि में कोई भी प्रकरण विचाराधीन नहीं है न ही जमानत आदि में ग्रस्त है तथा विक्रय भूमि पर किसी भी बैंक, सोसायटी आदि का लेना शेष नहीं है । विक्रय भूमि हर प्रकार से साफ व पाक है, जिसको विक्रय, हस्तांतरण, परिवर्तन, आदि करने के सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार स्वतंत्र रूप से मुझ विक्रेता को प्राप्त हैं ।

2. यह कि अब मुझ विक्रेता ने अपनी निजी व पारिवारिक आवश्यकता हेतु उपरोक्त विक्रय भूमि कुल रकबा 2.834 हेक्टेयर को मात्र रुपये 4,00,000/- (चार लाख रुपये मात्र) के बदले में उपरोक्त क्रेता को उक्त भूमि सदैव के लिये सर्वाधिकार सहित विक्रय कर दी यानि बेच दी है और कुल सम्पूर्ण विक्रय राशि पृष्ठ एक पर लिखे अनुसार मुझ विक्रेता को प्राप्त हो चुकी है अब विक्रय राशि में से एक भी पैसा लेना/कुछ भी शेष नहीं रहा है और भविष्य में रहेगा ।

Satyendra Tiwari (S.V.)
CS, Shahjhan-b-d, Bhopal
S. No. 3991398
Date 25/4/05



Signature

सत्येंद्र तिवारी
उपनिर्देशक
भारतीय न्यायपालिका
भारत सरकार

26 APR 2005

Signature

Signature



मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH

4.

076235

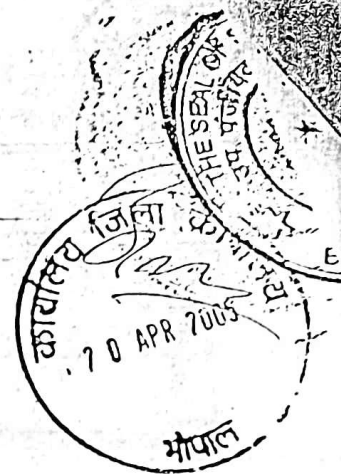
3. यह कि उक्त विक्रय भूमि पर क्रेता को प्रत्यक्ष मौके पर स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य अर्थात् कब्जा करा दिया है तथा मुझ विक्रेता ने विक्रय भूमि पर से अपना कब्जा व दखल मालिकाना सदैव के लिये समाप्त कर लिया है। अब आज से उपरोक्त विक्रय भूमि से मुझ विक्रेता का तथा मेरे वारिसानों, संतानों, उत्तराधिकारियों का तथा मुझ विक्रेता से सहित रखने वाले सभी व्यक्तियों को कोई वास्ता व सरोकर शेष नहीं रहा और न ही भविष्य में रहेगा। अब यदि कोई विक्रय भूमि के संबंध में क्रेता से कोई वाद-विवाद मांग मतालबात, झगड़ा आदि करें तो वह असत्य व अवैधानिक माना व समझा जावेगा।

4. यह कि उक्त विक्रय भूमि पर आज दिनांक से पूर्व के जो भी बकाया जात, मतालबात, लगान, ऋण व भार या किसी भी विभाग की कोई देनदारी निकलती है तो उसको मैं विक्रेता अदा करने के पाबंद व जिम्मेदार रहूँगा जिसकी अदायगी मेरे उत्तराधिकारियों पर भी लागू रहेगी।

5. यह कि उक्त विक्रय भूमि सम्पूर्ण या उसका कोई अंश आज दिनांक से पूर्व के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की त्रुटि के कारण या किसी की दावेदारी के कारण क्रेता के कब्जे से निकल जावे तो उसकी तमामतर जिम्मेदारी मुझ विक्रेता की होगी तथा ऐसी दशा में क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि विक्रय की सम्पूर्ण राशि मौजूदा बाजार भाव से एवं हर्जा खर्चा व नुकसान मुझ विक्रेता की अन्य चल एवं अचल संपत्ति से प्राप्त कर लेवें और ऐसी राशि मेरे न देने पर क्रेता को अधिकार होगा कि वे विक्रय की सम्पूर्ण राशि एवं हर्जा खर्चा सहित न्यायालय के द्वारा मुझ विक्रेता से प्राप्त कर लेवें।

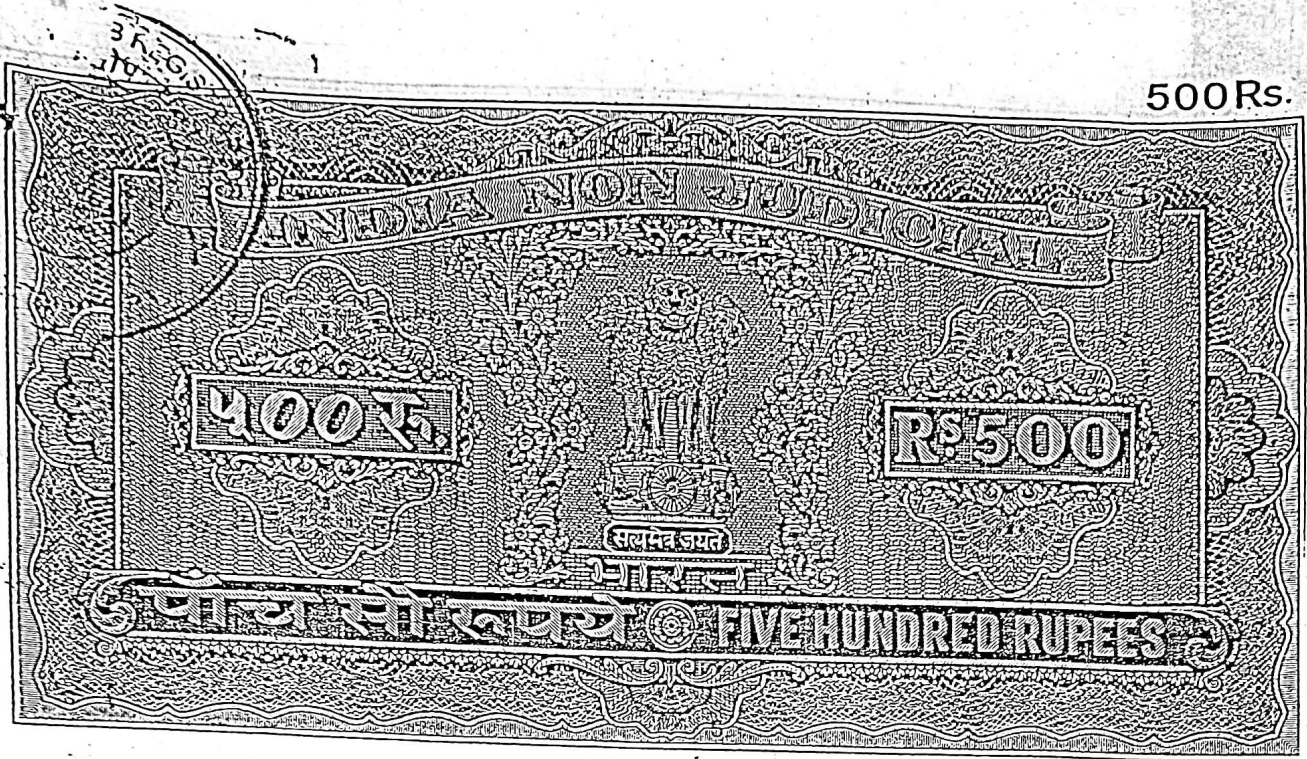
6. यह कि अब आज से उपरोक्त क्रेता विक्रय भूमि के वैधानिक रूप से मालिक, काविज व स्वामी हो चुके हैं तथा वह सब सुखाधिकार जो आज दिनांक तक उक्त विक्रय भूमि से मुझ विक्रेता को प्राप्त थे अब भविष्य में उक्त क्रेता को प्राप्त होंगे तथा वे विक्रय भूमि का जैसा चाहें वैसा उपयोग उपभोग करें, कृषि कार्य करें/करायें, उस पर ऋण भार प्राप्त करें, उसको विक्रय, हस्तांतरण, बंधक, दान आदि करें तथा हर प्रकार से लाभ उठावें।

Chandra (S.V.)
Salyandra (S.V.)
65, Shahjahan Road, Bhopal
S. No. 1001/233
Date 25/4/05



26 APR 2005

भोपाल जिला कायस्थ जिला
(प्र.प्र.) कायस्थ जिला



7. यह कि अब क्रेता को पूर्ण अधिकार होगा कि वह उपरोक्त विक्रय भूमि का नामांतरण तहसील तथा अन्य शासकीय, अर्द्धशासकीय, एवं अन्य संबंधित कार्यालयों में अपने नाम पर नामांतरण करा लें। नामांतरण हेतु मैं विक्रेता हर प्रकार का सहयोग बिना मुआवजा क्रेता को देने का पाबंद व जिम्मेदार रहूंगा।

अतः यह दस्तावेज सद्वैय के लिये साथ राजीखुशी के, बिना किसी भय व दबाव के अपने सही होश-हवास में अच्छी तरह से सुन समझकर लिखाकर, पढ़कर, पढ़वाकर दो गवाहों के समक्ष हस्ताक्षर कर पंजीबद्ध करा दिया कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवें।

भोपाल, इति दिनांक : 26/04/2005

[Signature]
श. वाई मी

शैलेन्द्र तिवारी, अधिवक्ता

65, थाना रोड, शाहजहाँनाबाद, भोपाल

साक्षीगण :- *[Signature]*

[Signature]
हस्ताक्षर विक्रेता

1. नाम- राजेश कटियार
पिता का नाम- स्व.श्री बाबूराम कटियार
पता- 23, जैन नगर, लालघाटी, भोपाल

2. नाम- *[Signature]* संजय परिहार
पिता का नाम- श्री रामप्रसाद परिहार
पता- ग्राम भौरी, जिला- भोपाल.

[Signature]
हस्ताक्षर क्रेता

नोट: इस दस्तावेज में कोई काट-छांट नहीं है।

(25)

Satyendra Tiwari
D5, Shahjaniabad, Bhopal
S. No. 4017400
Date 25/4/05



26 APR 2005

26 APR 2005

26 APR 2005

26 APR 2005